

राजस्थान — सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।

क्रमांक:एफ 2()सर्त/सूनवाई का अधि/2013/167


दिनांक : 15 -2-2013

कार्यालय आदेश

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) राज. जयपुर के पत्र क्रमांक प.13(1) प्रसु/सम/अनु-1/2012 दिनांक 31.5.2012 के क्रम में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के लिये सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के क्रम में निम्नानुसार लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी और द्वितीय प्राधिकारी नियुक्त किये जाते हैं :-

क्रम सं.	परिवाद का विषय वस्तु का स्तर	लेफ़ सुनवाई अधिकारी	प्रथम अपील प्राधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी
1	तहसील	सम्बंधित उप पंजीयक, उसकी अधिकारिता के राजस्व मामले, संबंधित परिवादों के लिए	सम्बंधित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) विभाग उनके क्षेत्राधिकार के लिये।	संबंधित अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर/अजमेर उनके क्षेत्राधिकार के लिये।
2	उपखण्ड	सम्बंधित उप पंजीयक, उसकी अधिकारिता के राजस्व मामले, संबंधित परिवादों के लिए	संबंधित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) विभाग उनके क्षेत्राधिकार के लिये।	संबंधित अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर/अजमेर उनके क्षेत्राधिकार के लिये।
3	जिला	अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर/सम्बंधित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) विभाग, उसकी अधिकारिता के राजस्व मामले, संबंधित परिवादों के लिए	संबंधित अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर/अजमेर उनके क्षेत्राधिकार के लिये।	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 की प्रति राज्य सरकार की वेब साईट www.rajasthan.gov.in "http://www.ard.rajasthan.gov.in" से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।



(हेमन्त कुमार गेरा)

महानिरीक्षक,


पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर।

क्रमांक:एफ 2()सर्त/सूनवाई का अधि/2013/168-591

दिनांक : 15-2-2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- माननीय निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
- 2- माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त (कर) राजस्थान जयपुर।
- 3- प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) राज. जयपुर।
- 4- शासन उप सचिव, वित्त (कर) विभाग, राज. जयपुर।
- 5- समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
- 6- समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
- 7- अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, 'डी' ब्लाक कमरा नं0 401, वित्त भवन, राजस्थान, जयपुर।
- 8- अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर।
- 9- समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर(मुद्रांक) राजस्थान।
- 10- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय अजमेर।
- 11- उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय अजमेर।
- 12- ए.सी.पी. कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये।
- 13- निजी सचिव महानिरीक्षक/निजी सहायक अतिरिक्त महानिरीक्षक, मुख्यालय अजमेर।
- 14- समस्त उप पंजीयक, राजस्थान।
- 15- समस्त शाखाएँ मुख्यालय अजमेर।



(रेणु जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर।